12/16

[illegible] 07

प्रमाणकर्ता पेश हुई। वकील प्रार्थी आवेदन में उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो चुका है। अब प्रार्थी को प्रमाण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः श्रमाधीन प्रकरण खारिज किया जावे।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर के बाद वाद संख्या खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दातारामगढ़ (सीकर)